अपील सूचना अधिकार संख्या 22/2017 अनवानी प्रदीप दायमा पुत्र श्री जुगल किशोर निवासी वार्ड न0 6 पदमपुर रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
22/2017

11–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को लोकायुक्त सचिवालय, राज0 के पत्र क्रमांक 17(89)/एलएएस/2016/22458 दिनांक 02.09.2016 से संबंधित पत्रावली का निरीक्षण करवाने के लिए आवेदन किया गया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे पत्रावली का अवलोकन नही करवाया गया है और उनके द्वारा उसे जो जबाब दिया गया है वह सही नही है जो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(जे)(1) की उल्लंघना है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को रिकार्ड का अवलोकन करवाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान के पत्र क्रमांक 17 (89)/एलएएस/2016/22458 दिनांक 02.09.2016 की पत्रावली का निरीक्षण करने बाबत।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1522 दिनांक दिनांक 22.03.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोकायुक्त सचिवालय के उक्त पत्र से प्राप्त शिकायत से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने के लिए आवेदन किया है, जिसका उत्तर उनके कार्यालय के पत्र सं0 1042 दिनांक 28.02.17 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर भिजवा दिया गया था। इसलिए अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1042 दिनांक 28.02.2017 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान के पत्र क्रमांक 17(89)लोआस/2016/22458 दिनांक 02.09.16 की पत्रावली का निरीक्षण करने बाबत।	आप द्वारा जिस पत्रावली का निरीक्षण किये जाने का उल्लेख अपने सूचना आवेदन पत्र द्वारा किया गया है वह पत्रावली जांच कार्यवाही से संबधित है जाचं कार्यवाही लोकसेवक एवं नियोक्ता के बीच का विश्वासाश्रित प्रकरण है। इसलिए विचाराधीन जांच प्रकरण की सूचना देना अथवा जांच पत्रावली का निरीक्षण करवाना उचित नही है। अतः राजस्थान सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अनुसार तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना देय नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के द्वारा शिकायत प्रकरण के संबंध में पत्रावली का निरीक्षण करने के लिए आवेदन किया गया है जिसके संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार अपीलार्थी को उत्तर दिया गया है। इस उत्तर में अंकित राज0 सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अवलोकन से पाया गया कि किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत एवं जांच आदि की सूचना लोक सेवक एवं नियोक्ता के बीच विश्वासाश्रित प्रकरण है। सूचना का प्रकटन लोकहित में निहित नही है और ऐसी सूचना देय नही होने के कारण माननीय सूचना आयोग द्वारा अपील खारिज की गई है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 28.02.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर